डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprises

No. ALD(E)/EN/RTI-71 Vol. I

Dated: 11.8.2017 .

श्रीमती श्यामकुमारी देवी
पत्नी धर्मपाल सिंह निवासी
ग्राम जगदीशपुर उर्फ टम्मलगंज,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर

विषयः श्रीमती श्यामकुमारी देवी पत्नी धर्मपाल सिंह, निवासी जगदीशपुर उर्फ टम्मलगंज, तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर द्वारा गाटा सं0 161/1 के प्रतिकर दिये जाने की बाबत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2017 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में।

आवेदिका के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2017 के द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत है:-

1. (क) मौजा जगदीशपुर उर्फ टम्मलगंल रेल पथ निर्माण हेतु भूमि रेलवे लाइन के दक्षिणी सिरे से 55 मी0 दक्षिण की तरफ गहराई में ली गयी है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) रेलवे लाइन के दक्षिण गाटा सं0 155 जो उत्तर रेलवे का है व 160/1 रकबा 0.0760 हे0 मोतीलाल आदि व 160/2 रकबा 0.0130 हे0 एन0जेड0ए0 सड़क पक्की व 161/2 रकबा 0.0760 हे0 श्यामकुमारी व शिवनाथ का है। पक्की सड़क व रेलवे लाइन के बीच श्यामकुमारी आदि को कोई एन0जेड0ए0 सड़क पक्की पड़ता है। पक्की सड़क के बाद गाटा सं0 161/1 रकबा 0.0130 हे0 रकबा नहीं था और न ही कोई कब्जा ही था।

(घ) संरेखण/रेखांक का मानचित्र सूचना के साथ संलग्न है।

2. डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना हेतु आवश्यकतानुसार भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार किया गया है। गाटा सं0 160 रकबा 0.0760 हे0 काश्तकार की व इसी में 0.0130 हे0 पक्की सड़क है। इस गाटे के बाद गाटा सं0 161 आता है, इसमें 0.0760 हे0 पक्की सडक व 0.0130 हे0 श्यामकुमारी आदि का है। जो अधिग्रहण से बाहर है। संरेखण के अंदर की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर नियमानुसार हितबद्ध व्यक्तियों को दिया गया है।

(क) प्रार्थिनी की गाटा सं0 161/1 की भूमि सड़क पर है या सड़क के दक्षिण। इनका एक मकान पूर्व से सड़क के दक्षिण बना है। कथित भूमि जरिये बैनामा ली गयी है। जिसमें कहीं कोई चौहद्दी का उल्लेख नहीं है और न ही गाटा सं0 160 के पास कब्जा ही है। इसलिये कथित भूमि अधिग्रहण में नहीं है और न ही प्रतिकर दिये जाने का कोई औचित्य है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

3. आवेदिका को सूचना अधिकार के तहत सूचना दी जा रही है। जहां प्रतिकर देने की बात है, वह गलत व दबाव बनाकर मांग की जा रही है। क्योंकि रेल लाइन से राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच न तो इनकी भूमि है और न ही कहीं काबिज ही है, इसलिए अधिग्रहण में शामिल नहीं किया गया है।

वांछित सूचना प्रेषित है। कृपया आप अपने स्तर से जवाब भेजें।

(के0एस0 द्विवेदी)
उप परियोजना प्रबन्धक/इंजी0
इलाहाबाद/पूर्व